न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2025(GCMS 2025/52)

(आरटीआई संख्या 21218226971132)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री गणेश कुमार पुत्र श्री हंसराज शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 12, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नं. 90793–88707)

<u>बनाम</u>

तहसीलदार (राजस्व), **सूरतगढ़**

<u>25.02.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गणेश कुमार दिनांक 24.02.2025 को स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया किया उसने तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गणेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **एक बिन्दु की सूचना चाही थी :**

सेहदा देह हाजा किशनपुरा व रंगमहल की कृषि भूमि आवंटन की सम्पूर्ण पत्रावली की सूची व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने क्रमांक भू.अ./2025/541 दिनांक 18.02.2025 से अपील का जवाब ... प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि प्रार्थी गणेश कुमार पुत्र श्री हंसराज शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 12, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत भेज गये प्रार्थना पत्र में चाही गयी किशनपुरा व रंगमहल की पत्रावलियों से संबंधित अनवान, मुरब्बा नम्बर/खसरा नम्बर/मिसल नम्बर/निर्णय दिनांक इत्यादि का उल्लेख नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस बाबत प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक : भू.अ./2025/236 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा सूचित कर दिया गया है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपील निरस्त करने की कृपा करें।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/[illegible] दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का [illegible] स्वरूपों में उपलब्ध सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी यदि वांछित सूचना हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवा देवें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:07 IST
Reason: SelfAttested